



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-24.09.2025

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्करी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 11 ग्राम स्मैक

बरामद-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 25.09.2025 को झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ हासिम पुत्र सलिम निवासी मौहल्ला भडी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 11 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 485/2025 धारा 08/21 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त हासिम उपरोक्त के मादक पदार्थों तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

- हासिम पुत्र सलिम निवासी मौहल्ला भडी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 11 ग्राम स्मैक।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 485/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 280/2025 धारा 8/15/60 एनडीपीएस अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री खूब सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- है0का0 मनोज थाना झिंझाना जनपद शामली।
- है0का0 मुकेश थाना झिंझाना जनपद शामली।
- है0का0 अमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। “नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।



“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

एसओजी टीम शामली व थाना बाबरी पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 50.240 किलो ग्राम गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 12,50,000/- रुपये) बरामद:-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थ/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 25.09.2025 को एसओजी टीम शामली व थाना बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 01 मादक पदार्थ तस्कर रिजवान पुत्र फतेहदीन निवासी ग्राम विज्ञाना थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर को अवैध 50.240 किलो ग्राम गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 12,50,000/- रुपये) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान म0का0 सोनिया थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 109/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त रिजवान उपरोक्त के मादक पदार्थ तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता अभियुक्त:-

- रिजवान पुत्र फतेहदीन निवासी ग्राम विज्ञाना थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 50.240 किलो ग्राम गांजा(अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 12,50,000/- रुपये)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- मु0अ0सं0 109/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थानाध्यक्ष श्री राहुल कादयान थाना बाबरी जनपद शामली।
- उ0नि0 श्री कुलदीप प्रभारी एसओजी टीम जनपद शामली।
- म0का0 सोनिया थाना बाबरी जनपद शामली।
- है0का0 हरवेन्द्र एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 मनीष कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 रोहित एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 अनुज एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 दीपक निर्वाल एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 रामूर्ति तेजा एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 ललित चौधरी एसओजी टीम जनपद शामली।
- है0का0 अंकित भाटी थाना बाबरी जनपद शामली।
- का0 प्रभात कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। “नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।



थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बदलूगढ में हत्या की घटना में लिप्त अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लेकर अभियुक्त की निशानदेही पर अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद ।

ज्ञात हो कि दिनांक 09.06.2025 की रात्रि में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत देवेन्द्र सिंह पुत्र पलटू सिंह निवासी ग्राम बदलूगढ थाना कैराना जनपद शामली अपने घर में चारपाई पर बैठे थे तभी मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा आकर फायर कर दिया जिससे एक गोली देवेन्द्र सिंह के सिर में लगने से घायल हो गये । घायल देवेन्द्र को उपचार हेतु सीएचसी कैराना ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा देवेन्द्र सिंह को मृत घोषित कर दिया गया । सूचना पर तत्काल सभी उच्चाधिकारीगण, थाना कैराना पुलिस, एसओजी, सर्विलांस व फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर प्रत्यक्षदर्शियों/परिजनों से घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी । मृतक के पुत्र सुनील की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 341/2025 धारा 103(1) बीएनएस के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था । थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त मौहम्मद मौमीन, भूरा उर्फ यामीन व यूसुफ पुत्र नूर मौहम्मद उर्फ भूरा, प्रीत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

घटना में लिप्त अभियुक्त अक्षय पुत्र शिवकुमार निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था । आज दिनांक 25.09.2025 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्त अक्षय को जिला कारागार मुजफ्फरनगर से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर घटना में प्रयुक्त अवैध 01 पिस्टल 7.65 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 7.65 बोर बरामद किया गया है । बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.अक्षय पुत्र शिवकुमार निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली ।

अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 पिस्टल 7.65 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 7.65 बोर ।



थाना कांधला/आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए

02 एनबीडब्ल्यू/वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 25.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला/आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला/आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक कुमार पुत्र ताराचन्द निवासी परानगढी थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।
2. शनि पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम खन्दावली थाना कांधला जनपद शामली।



प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करके 02 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व कुल 11,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

1. वर्ष 2015 में अभियुक्त मोहन पुत्र रतन सिंह निवासी अहमदगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 19/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 25.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना से अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2.- वर्ष 2014 में अभियुक्त रियासत पुत्र सफीक निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 900/2014 धारा 379/411 भादवि0 व 4/21 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 25.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।